



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, 2003 ई0
कार्तिक 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
संख्या 1365 / कृषि / 2003-2004
देहरादून, 15 नवंबर, 2003

अधिसूचना

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र, असाधारण, विधायी परिषिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई0 (माघ 24, 1922 शक सम्वत्), में जारी अधिसूचना उत्तरांचल शासन बन एवं ग्राम्य विकास शाखा, कृषि अनुभाग, संख्या 335 / कृषि / 2000-2001 देहरादून, 13 फरवरी, 2001 को महामहिम राज्यपाल महोदय निम्न प्रकार संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के नियम 27 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से कृषि विभाग, उत्तरांचल प्रदेश के निम्नलिखित अधिकारियों को जो उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के खण्ड 27 (क) में उल्लिखित अर्हतायें रखते हैं, को उनको अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर उर्वरक निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

(क) प्रत्येक जिले में:

1. मुख्य कृषि अधिकारी
2. सहायक निदेशक, कृषि प्रसार
3. कृषि रक्षा अधिकारी
4. अपर जिला कृषि अधिकारी, जैविक
5. अपर कृषि प्रसार अधिकारी

(ख) मण्डल / मुख्यालय स्तर:

1. अपर कृषि निदेशक
2. संयुक्त कृषि निदेशक
3. उप कृषि निदेशक,
4. सहायक निदेशक,
5. प्राविधिक सहायक (वर्ग-1)

(ग) आपातकाल के दौरान शासन के निर्देश पर आयोजित छापे इत्यादि:

1. सहायक निदेशक, जलागम
2. जलागम प्रबन्धक, वर्ग-1
3. अपर कृषि प्रसार अधिकारी

टिप्पणी—पैरा (ग) में उल्लिखित अधिकारी आपातकालीन छापे के दौरान उर्वरक निरीक्षक के कर्तव्यों का पालन करेंगे। सरकार जिला मजिस्ट्रेटों को इस सम्बन्ध में विशिष्ट अनुदेश जारी करेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशों के जारी किये जाने के पश्चात् ही ये अधिकारी अपने उक्त कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)

सचिव,

संख्या 1365 / कृषि / 2003 / 1 (२५६) ०३ तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 2. कृषि सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 3. सचिव, कृषि, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
 4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
 5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
 6. कृषि निदेशक / अपर कृषि निदेशक / संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरांचल।
 7. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरांचल।
 8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को राजकीय गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियो उपलब्ध कराने हेतु।

आज्ञा से

(जा ०पी ०एस ०गुराँझी)

सचिव।